न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—317/2019/225 (2019/00317)

1. राजपाल पुत्र सुबेसिंह, जाति यादव निवासी प्लाट नं0 953, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मुन्नी पत्नि रामलाल, जाति बैरवा,
2. कजोड़ पुत्र रामकरण, जाति गुर्जर,
3. हनुमान पुत्र गंगाराम, जाति गुर्जर,
4. गोगाराम पुत्र रामसुख, जाति खारोल,
5. बालू पुत्र गणेश, जाति खारोल,
6. चौथूराम पुत्र काना, जाति खारोल,
7. श्रवण पुत्र काना, जाति खारोल,

   सभी निवासी नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8. सूरजकरण पुत्र घीसालाल, जाति जाट, निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
9. रामचन्द्र पुत्र भूरा, जाति खारोल, निवासी नासनोता, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 26.2.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 102/2016.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 7 अनुपस्थित ।
4. श्री हेमसिंह राठौड़, श्री आकाश मीणा, श्री मुकेश चौधरी एवं श्री अनिल शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 27.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 26.2.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीया/रेस्पो0 ने अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का आराजी खसरा नंबर 378 रकबा 0.5400 है0 भूमि में 112/648 हिस्सा निहित है एवं अपने हिस्से पर काबिज काश्त खातेदार है । उक्त आराजी में प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 के आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है । इसलिये प्रार्थिया को अपनी उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 की सहखातेदारी आराजी खसरा नंबर 357, 359, 360 व 361 वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर स्थित है, में से उत्तर दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 से दक्षिणी दिशा में अपनी आराजी तक जाने के लिए अपीलांट व रेस्पो0 की उपरोक्त आराजी की पश्चिमी मेर से 360 फुट लंबाई व 15 फुट चौड़ाई का कुल 600 वर्गगज रास्ते की आवश्यकता है जिसे संलग्न नजरी नक्शे से दर्शाया गया है । उक्तानुसार प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 को रास्ता दिलाया जावे । अन्त में दादरसी चाही कि प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर खसरा नंबर 1100, 1091, 1090, 1089 में से 9 मीटर चौड़ा एवं करीब 477 मीटर लंबा रास्ता प्रार्थी को आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 26.2.2019 द्वारा प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 357, 360, 361 में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार उत्तर दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की आराजियात की पश्चिमी मेर से प्रार्थिया की आराजी खसरा नंबर 378 तक पहुंच हेतु 15 फुट चौड़ा नया मार्ग कायम किये जाने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 5.2.2019 को उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की गई एवं कार्य स्थगन के चलते तारीखें तब्दील होती रही एवं प्रकरण में दिनांक 26.2.2019 नियत की गई थी । उक्त दिनांक को अधी0न्याया0 ने यह कहते हुए कि 15 दिवस से अधिक समय हो चुका है अतः पुनः बहस सुनना आवश्यक है । रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा पुनः बहस करना जाहिर किया किन्तु उक्त नियत दिनांक को अपीलांट अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया गया है । जब प्रार्थी प्रकरण में आदेश की जानकारी लेने हेतु दिनांक 19.8.2019 को न्यायालय में गया तो रीडर ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.2.2019 को ही स्वीकार किया जा चुका है, तब प्रार्थी ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 20.8.2019 को नकल प्राप्त होने पर अजमेर आकर अपने अभिभाषक की राय से यह अपील तैयार करवाकर अविलंब अपील पेश की है । अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक होने से विलंब क्षम्य किया जावे तथा प्रकरण को मेरिट पर निर्णित किया जावे ।

5. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.2.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0

द्वारा बहस सुने 15 दिवस से अधिक होने से प्रकरण में पुनः बहस सुना जाना आवश्यक होना अंकित किया है तथा प्रार्थी द्वारा पुनः बहस करना जाहिर किया है किन्तु अपीलांट ने शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अधी0न्याया0 के समक्ष बहस में उपस्थित नहीं थे । इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पुनः बहस की गई हो । अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अपील के विचाराधीन रहते विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अपने अपील मीमों के मद नंबर 3 व 4 में यह तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थिया ने आराजी खसरा नंबर 378 के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, मद नंबर 5 में यह अंकित किया है कि प्रार्थिया किस स्थान पर काबिज है, मद नंबर 8 में यह अंकित किया है कि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ने आराजी खसरा नंबर 378, 357, 360 को दिनांक 29.10.2014 को अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर को अनुबंध पर हस्तातंरण कर दिया जिसकी जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को होने के बाद भी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में पक्षकार नहीं बनाया तथा बरवक्त प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आराजी कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि में दर्ज होने से उक्त प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है । मद नंबर 9 में यह तथ्य अंकित किये है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मांगे गये रास्ते बाबत् जिन खसरा नंबरान का उल्लेख किया गया है वह भूमि कृषि से परिवर्तित होकर आबादी भूमि हो चुकी है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सहायक कलक्टर, दूदू के न्यायालय में प्रस्तु वाद संख्या 65/2020 राजपाल आदि बनाम मुन्नी देवी की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ने आराजी खसरा नंबर 361, 360, 378 व 357 व अन्य आराजी बाबत् पेश तकासमा का रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया था । अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ने उक्त वादपत्र के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न किया है जिसमें आराजी खसरा नंबर 361, 360, 357 व 378 की आराजी में स्वंय के हिस्से व कब्जे की आराजी को पीले रंग से दर्शाया है जो सही है जिसका जवाब रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नंबर 378 की आराजी में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 की आराजी को पीले रंग से होना स्वीकार किया है जिसके पश्चिम दिशा में रेस्पो0 संख्या 1 ने लाल रंग से अपने हिस्से की आराजी दर्शायी है । उक्त दस्तावेज दावा व जवाबदावा व संलग्न नजरी नक्शों से साबित है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने जिन खसरा नंबर 361, 360, 357 में रास्ता चाहा है वह अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की कब्जे व हिस्से की आराजी है, रेस्पो0 ने अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है लेकिन रेस्पो0 संख्या खसरा नंबर 378 के सहखातेदार को इसलिये पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि खसरा नंबर 378 की जिस भूमि में से होकर रास्ता चाहा है वह अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे व हिस्से की है जो वादपत्र व संलग्न नजरी नक्शे की स्वीकारोक्ति से साबित है । इसलिये अपील में वर्णित तथ्यों के निस्तारण

हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को पत्रावली अभिलेख पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

7. विद्वान वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है वे वाद संख्या 65/2020 से संबंधित है । उक्त वाद तकासमा का वाद है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जबकि हस्तगत प्रकरण रास्ते के संबंध में है । प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात रास्ते के प्रकरण में कोई सहायता प्रदान करते है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ दावा मय नजरी नक्शा, जवाबदावा मय नजरी नक्शा व आदेशिकाओं की प्रतियां पेश की है । उक्त वाद अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 द्वारा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें वादी ने यह अंकित किया है कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है जिसका पक्षकारान ने मिल बैठकर मौखिक रूप से विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग की आराजियात पर वादीगण काबिज काश्त है तथा शेष आराजियात पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काबिज है । वादपत्र के साथ वादी एवं प्रतिवादी द्वारा संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 378 का मौखित विभाजन अंकित कर नजरी नक्शा पेश किये है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात विवादित आराजियात से संबंधित होने के कारण अपील को निर्णित करने में सहायक एवं सुसंगत दस्तावेज है । अतः प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को अपील पत्रावली पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

9. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि आदेश 6 नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार नॉन जॉईण्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष संधारण योग्य नहीं था फिर भी अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थिया व रामसिंह, लखन पुत्र सुखदेव नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता सायरदेवी का हिस्सा 5/26, सीताराम पुत्र श्योराम हिस्सा 3/26, मुन्नीदेवी पत्नि रामलाल का हिस्सा 112/468, सूरजकरण पुत्र घासीलाल का हिस्सा 56/936, राजपाल यादव पुत्र सुबेसिंह का हिस्सा 46/117 के साथ सहखातेदार तथा खसरा नंबर 378 रकबा 0.54 है0 के सहखातेदार रामसिंह, लखन पुत्र सुखदेव नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता सायरदेवी पत्नि सुखदेव व सीताराम पुत्र श्योराम को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए में पक्षकार नहीं बनाया गया है । उक्त तथ्य तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.3.2018 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने का उल्लेख किया गया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअदांज कर

अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार द्वारा दिनाक 28.3.2018 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें पैरा संख्या 2 (1) में यह अंकित किया गया था कि खसरा नंबर 360 के सहखातेदार रामचंद्र पुत्र भूरा को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थिया को होने के पश्चात् दिनांक 31.10.2018 को रामचंद्र पुत्र भूरा को बतोर पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 6.11.2018 को उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने स्वीकार कर लिया इसके पश्चात् भी रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अन्य सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जिससे प्रार्थना पत्र संदेहास्पद हो जाता है । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार, मौजमाबाद की तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिया अपनी सहखातेदारी की आराजियात में किस स्थान पर काबिज काश्त है एवं मांगा गया रास्ता लघुतम है या नहीं उक्त तथ्य की पुष्टि प्रार्थिया के खेत की स्थिति पता न होने के कारण संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में तथ्यात्मक रिपोर्ट का संपूर्ण विवेचन, विश्लेषण किये बिना निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रार्थिया के विरूद्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रार्थिया के पक्ष में नवीन रास्ता स्वीकृत करने में अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है । बहस में आगे कथन किया कि उक्त भूमि अपीलांट व उसके सहखातेदार सूरजकरण पुत्र घीसालाल द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 374, 375, 376, 377, 378, 379 के लगवा भूमि पर आने जाने के लिए खसरा नंबर 357, 360, 361 की भूमि क्रय की थी । उक्त रास्ता अपीलांट व सहखातेदारों ने अपनी सुविधा हेतु भूमि का प्रतिफल देकर प्राप्त किया है जो कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज न होकर अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है जिसमें से रेस्पो0 संख्या 1 को रास्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलांट व सूरजकरण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 374, 375, 376, 377, 378, 379, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 357, 360 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया था जिसे दिनांक 29.10.2014 को अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर को अनुबंध कर हस्तातरंण कर दिया है । उक्त तथ्यों की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 को होने के बावजूद अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है । उक्त आराजियात अपीलांट की न होकर अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 6.12.2016 को उक्त भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि दर्ज होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के मकान गै0मु0 आबादी भूमि खसरा नंबर 412 में बने हुए है जिसके पीछे की तरफ खसरा नंबर 378 में रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि/बाड़ा बना हुआ है । रेस्पो0 संख्या 1 अपने बाड़े की भूमि में आबादी भूमि खसरा नंबर 412 से लगवा गै0मु0 रास्ता खसरा नंबर 351 से आते जाते रहे है। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 378 के लगता खसरा नंबर 356 अवस्थित है जिसमें से प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 के खसरा नंबर 378 में आवागमन हेतु समीपस्थ मार्ग उपलब्ध हो सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 378 में आवागमन हेतु वैकल्पिक एवं समीपस्थ मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या

1 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपरोक्त समस्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अधी0न्याया0 को मुगालते में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है तो वह अपनी जोत में कृषि यंत्र लाने व ले जाने के लिए चिपती कृषि भूमि में से लघुतम रास्ता मांग सकता है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मांगा गया रास्ता जिन खसरा नंबरान से मांगा गया है उन भूमियों की किस्म परिवर्तित होकर आबादी भूमि में दर्ज हो चुकी है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार से जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी वह उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार न कर उनकी पीठ पीछे तैयार कर न्यायालय में पेश की गई है जिस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 5.2.2019 को उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की एवं कार्य स्थगन के चलते तारीख तब्दील होती रही ओर प्रकरण में दिनांक 26.2.2019 नियत की गई । उक्त दिनांक को अधी0न्याया0 ने यह कहते हुए कि 15 दिवस से अधिक समय हो गया है अतः पुनः बहस सुनना आवयक है । रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी बहस करना जाहिर किया तथा उक्त नियत दिनांक को अपीलांट के अनुपस्थिति नहीं होने के बावजूद अपीलांट की उपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार करने के आदेश पारित किये है जो कि प्रार्थिया को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरह से निर्णय पारित किया गय है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 रेवेन्यू 2019 पेज 262, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 40, आर0बी0जे0 2020 पेज 35, आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 403, आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 1128, आर0आर0टी0 2018–19 सप्लीमेन्ट्री पेज 342, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 342 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

10. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता श्री पन्नालाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 378 रकबा 0.5400 है0 भूमि वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में का खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 है जिसमें आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, मौजमाबाद से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थिया की आराजी में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता होना नहीं बताया है तथा अप्रार्थीगण की आराजी में से प्रार्थिया को रास्ता दिए जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति नहीं जताई है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट एकमात्र निकटतम व समीपस्थ रास्ता अप्रार्थी/अपीलांट की आराजी में से होना पाया है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने आराजी खसरा नंबर 378 तक पहुंच हेतु अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 की आराजी खसरा नंबर 357, 360 व 361 में से उत्तर दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की आराजियात की पश्चिमी मेर से आराजी खसरा नंबर 378 तक पहुंच हेतु 15 फुट चौड़ा नया मार्ग कायम किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट एवं

अन्य रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का लिखित जवाब देकर प्रतिरोध नहीं किया तथा न ही अप्रार्थीगण की आराजी में से प्रार्थिया को रास्ता दिये जाने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति जताई है। अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 8 की बहस सुनकर निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अपीलांट का यह कथन कि अन्य सहखातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, किया गया कथन असत्य है क्योंकि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ने आराजी खसरा नंबर 361, 360, 378 व 357 व अन्य आराजी बाबत् तकासमा का वाद संख्या 65/2020 रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष पेश किया था । उक्त वाद में प्रस्तुत दावा व जवाबदावा व संलग्न नजरी नक्शे से यह साबित है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने जिन खसरा नंबरान 361, 360 व 357 में से रास्ता चाहा है वह अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की कब्जे काश्त व हिस्से की आराजियात है लेकिन रेस्पो0 ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाया है लेकिन आराजी खसरा नंबर 378 के सहखातेदारान को इसलिये पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि खसरा नंबर 378 की जिस भूमि में से होकर रास्ता चाहा है वह अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे व हिस्से की भूमि है जो वादपत्र व संलग्न नजरी नक्शे की स्वीकारोक्ति से साबित है । उक्त वाद पत्र में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ने नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें खसरा नंबर 361, 360, 357 व 378 की आराजी को स्वंय की हिस्से व कब्जे की आराजी बताते हुए पीले रंग से दर्शित किया है । इसलिये अब अपीलांट का यह कहना कि उक्त आराजियात के अन्य सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम नहीं किया गया है किया गया कथन असत्य है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तथा तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट क आधार पर अपीालधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

11. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 8 के अधिवक्तागण ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 ने आदेश 41 नियत 27 के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है वे वाद से संबंधित है जबकि हस्तगत प्रकरण रास्ते से संबंधित है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी । अधी0न्याया0 ने जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह मौका रिपोर्ट रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ते संबंधी आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 8 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने नये रास्ते बाबत् आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी आराजी खसरा नंबर 378 रकबा 0.5400 है0 वाके ग्राम नासनोता, तह0 मौजमाबाद की काबिज खातेदार काश्तकार

है । उक्त आराजी में प्रार्थीनी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । इसलिये प्रार्थीनी को अपनी उक्त आराजी में चाह जोत करने के लिए व अपनी आराजी को उपजाऊ विकसित करने के लिए कृषि कलयंत्रों को ले जाने के लिये सुविधा अनुसार रास्ते की आवश्यकता है । अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 357, 359, 360 व 361 वाके ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, में से उत्तर दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमागे नंबर 8 से दक्षिणी दिशा में अपनी आराजी तक आने–जाने के लिये अप्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की पश्चिमी मेर पर 360 फुट लंबाई व 15 फुट चौड़ाई में कुल 600 वर्गगज रास्ते की आवश्यकता है जिसे संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 व 8 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की तरफ से श्री लोकेन्द्रसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया ।

13. पत्रावली में जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार खसरा नंबर 378 के खातेदार मुन्नीदेवी पत्नि रामलाल 28/117 हिस्सा, रेखा पुत्री सुखदेव हिस्सा 5/156, राजपाल यादव पुत्र सुबेसिंह यादव हिस्सा 46/117, नाबालिग रामसिंह पुत्र सुखदेव हिस्सा 5/78, नाबालिग लखन पुत्र सुखदेव हिस्सा 5/78, सूरजकरण पुत्र घीसालाल हिस्सा 7/117, सायरीदेवी पत्नि स्व0 सुखदेव हिस्सा 5/156, सीताराम पुत्र श्योराम हिस्सा 3/26 खातेदार काश्तकार दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2076 में दर्ज खसरा नंबर 361 के खातेदार कजोड़ दत्तक पुत्र रामकरण, गोगाराम पुत्र रामसुख, राजपाल यादव पुत्र सुबेसिंह यादव, हनुमान दत्तक पुत्र गंगाराम दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार खसरा नंबर 360 के खातेदार काश्तकार कजोड़, गोगाराम, चौथूराम, बालूराम, राजपाल यादव, रामचंन्द्र, श्रवण, सुरजकरण, हनुमान दर्ज है । खसरा नंबर 357 के खातेदार कजोड़, गोगाराम, बालूराम, राजपाल यादव, रामचंद्र, चौथमल, श्रवण, सूरजकरण, हनुमान दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2076 में दर्ज खसरा नंबर 359 गै0मु0चाह के खातेदार कजोड़, गोगाराम, चौथूराम, बालूराम, राजपाल यादव, रामचंद्र, श्रवण, सूरजकरण, हनुमान दर्ज रिकार्ड है ।

14. अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 8 का मुख्य कथन यह रहा है कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता खसरा नंबर 412 गै0मु0 आबादी भूमि से मिलते खसरा नंबर 351 गै0मु0 रास्ता में से उपलब्ध है जो कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 2 से 8 की भूमि खसरा नंबर 357, 359, 360, 361 में दिये गये रास्ते से लघुतम तथा समीपस्थ रास्ता है । इसके अतिरिक्त अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा नंबर 378 एवं 357, 359, 360, 361 के अन्य सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है जिससे भी प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष संधारण योग्य नहीं था ।

15. इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार, मौजमाबाद से विवादित भूमियों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी । तहसीलदार, मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.3. 2018 में यह अंकित किया है कि '' उनवानी वाद में ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद के खसरा नंबर 378 रकबा 0.54 है0 में रास्ता चाहने हेतु वादिनी मुन्नी देवी ध0प0 रामलाल, जाति बैरवा, निवासी नासनोता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । वादिनी मुन्नी देवी मुताबिक जमाबंदी संवत्

2073–76 के खाता संख्या 250 में अन्य खातेदारों रामसिंह, लखन नाबा0 पि0 सुखदेव, सरंक्षिका माता सायरीदेवी ध0प0 सुखदेव हि0 5/26, कौम खारोल सा0देह, सीताराम पुत्र श्योराम हि0 3/26, मुन्नीदेवी ध0प0 रामलाल हि0 112/468, कौम बैरवा सा0देह सूरजकरण पुत्र घीसालाल हि0 46/936, कौम जाट, नि0 श्योसिंहपुरा उर्फ बासडी, राजपाल यादव पुत्र सूबेसिंह यादव हि0 46/117 के साथ सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 378 रकबा 0.54 है0 के सहखातेदार रामसिंह, लखन नाबा0 पि0 सुखदेव सरंक्षिका माता सायर ध0प0 सुखदेव व सीताराम पुत्र श्योराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वाद में यह भी दर्शित नहीं है कि वादिनी किस स्थान पर काबिज है । प्रार्थना पत्र में खसर नंबर 378 में पहुंच हेतु खसरा नंबर 357, 359 व 360 वाके ग्राम नासनोता में से उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने के लिए रास्ता चाहा है । इसी प्रकार रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 (1) में अंकित किया है कि खसरा नंबर 360 रकबा 0.66 है0 भूम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 172 में रामचंद्र पुत्र भूरा हिद्ध 1/6 बालूराम पुत्र गणेश हि0 4/33, चौथूराम, श्रवण पि0 काना हि0 10/66 जाति खारोल सा0देह सूरजकरण पुत्र घीसालाल जाति जाट, नि0 श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ी हि0 4/132, राजपाल यादव पुत्र सूबेसिंह यादव नि0ासी 953 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला जयपुर हि0 414/3300 कजोड़ पुत्र रामकरण, हनुमान पुत्र गंगाराम, गोगाराम पुत्र रामसुख हि0 1336/3300 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें खातेदार रामचंद्र पुत्र भूरा को पक्षकार कायम नहीं किया गया है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 (3) में यह अंकित है कि खसरा नंबर 357 रकबा 0.10 है0 भूमि रामचंद्र पुत्र भूरा हि0 1/6 बालूराम पुत्र गणेश हि0 4/33 जात खारोल सा0देह सूरजकरण पुत्र घीसालाल जाति जाट, नि0 श्योसिंहपुरा उर्फ बासड़ी हि0 7/66 राजपाल यादव पुत्र सूबेसिंह यादव जाति यादव नि0 955 देवीनगर न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर हि0 467/825 कजोड़ पुत्र रामकरण, हनुमान पुत्र गंगाराम, गोगाराम पुत्र रामसुख हि0 1/25 कौम गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें रामचंद्र पुत्र भूरा को पक्षकार कायम नहीं किया गया है । रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया है कि संलग्न नक्शे में चाहा गया रास्ता पीले रंग से दर्शाया गया है जो खसरा नंबर 357, 360, 361 में से गुजरकर नेशनल हाईवे से मिलता है । प्रकरण में खसरा नंबर 361 में से रास्ता नहीं चाहा गया है इस कारण प्रार्थियाद्वारा चाहा गया रास्ता अधूरा रहता है। पैरा संख्या 4 में उल्लेखित किया है कि आवेदित भूमि पर आने–जाने हेतु वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता नही है । आवेदित रास्ते पर खातेदारान द्वारा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ग्रेवल 30 फीट डाली हुई है । आवेदिका की भूमि का पृथक नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आवेदित रास्ता लघुतम रास्ता है । ''

16. तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.3.2018 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा नंबर 378, एवं 360 के समस्त सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार कायम नहीं किया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका की भूमि पृथक नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है । अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट से उपरोक्त तथ्य प्रकट होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.3.2018 के आधार पर प्रार्थिया की सह–खातेदारी आराजी खसरा नंबर 378 में पहुंच हेतु खसरा नबर 357, 360, 361 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित

किये है जिसे खसरा नंबर 378 व 360 के समस्त सहखातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है।

17. विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 के आवासीय मकान खसरा नंबर 412 गै0मु0 आबादी में बने हुए है जिसके पीछे की तरफ खसरा नंबर 378 की भूमि स्थित है जिससे उसकी आराजी खसरा नंबर 378 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 412 गे0मु0 आबादी भूमि से लगता हुआ खसरा नंबर 351 गे0मु0 रास्ता उपलब्ध है जो कि लघुतम रास्ता है। प्रार्थिया की सहखातेदारी की भूमि खसरा नंबर 378 के चिपते हुए खसरा नंबर 356 की भूमि स्थित है जिसमें से भी प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि तक पहुंच हेतु लघुतम रास्ता उपलब्ध हो सकता है, इसके बावजूद प्रार्थिया ने खसरा नंबर 356 में से रास्ते की मांग नहीं कर अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 की आराजी खसरा 357, 360, 361 में से रास्ता चाहा है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने सह–खातेदारी आराजी खसरा नंबर 378 की पहुंच हेतु रास्ता चाहा है किन्तु खसरा नंबर 378 के अन्य सह–खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही अन्य सहखातेदारों की आराजी खसरा नंबर 378 में से रास्ता बाबत् कोई अनुतोष है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया/रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 378 एवं 360 के समस्त सह–खातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से तथा तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में विवादित भूमि खसरा नंबर 378 पर पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होने तथा तहसीलदार की रिपोर्ट में यह उल्लेख किये जाने से कि आवेदिका की भूमि का पृथक नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदित रास्ता लघुतम है । उक्त तथ्यों के अभाव में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर तथा धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए स्वीकार कर रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 1 की सह–खातेदारी आराजी खसरा नंबर 378 में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग के संबंध में उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका निरीक्षण करवाकर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखकर रास्ते संबंधी निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की हैं। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि काश्तकार को अपनी जोत में आने–जाने हेतु लघुतम रास्ता दिया जा सकता है न कि उसकी सुविधानुसार ।

19. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

20. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थिया/रेस्पो0 संख्या 1 की सह–खातेदारी आराजी खसरा नंबर 378 में चाहे गये रास्ते के संबंध में

विवादित आराजियात के अन्य सह–खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार कायम करने हेतु प्रार्थिया को निर्देशित कर चाहे गये रास्ते के संबंध में उभयपक्ष की मौजूदगी में अन्य वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ते के संबंध जांच करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में प्रावधित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर